यूको बैंक UCO BANK
(सम्मान आपके विश्वास का) (Honors your trust)

लॉकर तोड़ने का नोटिस | दिनांक: 28.06.2024

शाखा कार्यालय: नेहरू प्लेस (1944) एमसीसी शाखा, नई दिल्ली-110019

बैंक के द्वारा रिकॉर्ड में उपलब्ध, नवीनतम पते पर बार-बार अनुस्मारक कराने के बावजूद, अतिदेय लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया गया है इसलिए बैंक ने निम्नलिखित ग्राहकों के लॉकर्स को तोड़ने का फैसला किया है। यदि निम्नलिखित ग्राहक इस नोटिस के **15 दिनों** के भीतर सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करने में विफल रहता है, तो लॉकर तोड़ दिए जायेंगे और लॉकरों में रखी गई सामग्री का विक्रय बैंक के दिशा निर्देश अनुसार कर दिया जाएगा।

लॉकर विवरण

क्र.सं.	शाखा	लॉकर सं.	लॉकर ऑपरेशन तारीख	ग्राहक का नाम	देय राशि	ग्राहक का पता
1.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	CA186	1944	मोहिंदर चेतल	15,027/-	ई–24, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली–110019
2.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	EA381	1944	संतोष धर	20,421/-	139, विनोबा पुरी, दिल्ली–110001
3.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	DA329	1944	खेम प्रकाश अलघ और कमला अलघ	20,103/-	सी–115बी, ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली–110001
4.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	CA185	1944	राजीव कुमार सिंह और सौम्या सिंह	12,605/-	नई दिल्ली–110001
5.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	BA145	1944	जे जे भगत	15,338/-	नई दिल्ली–110001
6.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	AA009	1944	शशि बाला ठाकुर	13,670/-	मकान नं. – 12/17, गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031
7.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	CA248	1944	रिपुदमन सिंह कंवर	20,648/-	बी–573, सरिता विहार, दिल्ली–110001
8.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	AA060	1944	वरुण खरबंदा	17,642/-	डी14, एफ.एफ., लाजपत नगर पार्ट–1, नई दिल्ली
9.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	FA461	1944	खुशवंत कौर	19,982/-	बी–1/43, दुग्गल, नई दिल्ली–110001
10.	नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा	DA352	1944	राहुल कुमार	13,863/-	बी–7, प्लॉट नं.–608, हिलव्यू अपार्टमेंट, डेरागांव, नई दिल्ली–110011

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 11.06.2024 शाखा प्रमुख, यूको बैंक, नेहरू प्लेस एमसीसी शाखा, नई दिल्ली

शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालय: 501, सैल्कॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. के निम्नलिखित ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक से उनके द्वारा प्राप्त गोल्ड ऋण को बैंक द्वारा जारी की गई वैयक्तिक सूचनाओं सहित विभिन्न मांगों एवं सूचनाओं के बावजूद उनके द्वारा समायोजित नहीं किया गया है। सभी ऋणधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखी गई स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का फैसला किया गया है तथा तदनुसार, जहां से ऋण प्राप्त की गई है, उस शाखा परिसर में 27.06.2024 को 3.00 बजे अप. को इसके लिये नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। ऋणधारकों, खाता धारकों तथा सर्व-साधारण सहित सभी व्यक्ति नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम	पिता/पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पे ऑफ
गाजियाबाद	101542512182	तापस शर्मा	पुत्र एपी शर्मा	50 71, नौघरा, ज्ञान वैश्नो होटल के सामने, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208001	19/08/2023	32,368.82
आलमबाग	102342510110	रोहित कुमार	पुत्र मिथलेश	उपहार-202, उद्यान-2 एल्डेको कॉलोनी, निकट पीजीआई, उतरथिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025	06/12/2023	155,963.63
आलमबाग	102342510113	दीपिका त्रिपाठी	एस/ओ धर्मदेव त्रिपाठी	बी-15 एफ-05, जाहनवी एन्क्लेव, अवध विहार योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226002	08/12/2023	62,010.64

नीलामी की तिथि 27.06.2024 को 3.00 बजे अप. में है

बैंक को बिना कोई पूर्व सूचना दिये नीलामी से किसी भी खाता को हटाने अथवा नीलामी को निरस्त करने का अधिकार है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सॉलकन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली–110025
सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण / ऋणानेक जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक मांगों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किए गए हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तदनुसार **27–06–2024** को अप. **03.00 बजे** उन शाखा परिसरों में नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जहां से ऋण प्राप्त किया गया था / किए गए थे। ऋणकर्ताओं सहित समस्त सर्वसाधारण, खाताधारक और जनसाधारण नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता/पति–पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
नागल	101142510648	सलमान	पुत्र गुलभर	449 निकट मक्का मस्जिद पंडोली पंडौली सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247551	07/12/2023	53,910.57
देवबंद	100442511159	सलमान	पुत्र गुलभर	449 निकट मक्का मस्जिद पंडोली पंडौली सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247551	24/01/2024	231,294.31
देवबंद	100442511187	सलमान	पुत्र गुलभर	449 निकट मक्का मस्जिद पंडोली पंडौली सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247551	26/02/2024	42,988.79
गाजियाबाद	101542512450	शिल्पी एस जाट	पुत्र पुत्तन कश्यप	एफ 1206 ऐस एस्पायर ग्रेटर निकट डी मार्ट गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201206	14/10/2023	72,631.72
गाजियाबाद	101542513305	शिल्पी एस जाट	पुत्र पुत्तन कश्यप	एफ 1206 ऐस एस्पायर ग्रेटर निकट डी मार्ट गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201206	08/01/2024	21,432.76
गाजियाबाद	101542513774	शिल्पी एस जाट	पुत्र पुत्तन कश्यप	एफ 1206 ऐस एस्पायर ग्रेटर निकट डी मार्ट गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201206	16/02/2024	68,837.51
नोएडा–18	100742599572	रेखा देवी	पुत्र महेंद्र पाल सिंह	सी 88 ए सनातम धर्म मंदिर के पास सेक्टर 19 नोएडा गौतम बुद्ध नगर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301	16/06/2023	168,308.12
नोएडा–18	100742599748	भिक्कू	द्वारा सतीश	ग्राम – यादकुदपुर पी.एस. नॉलेज पार्क, निकट – बारात घर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201304	11/08/2023	21,660.31
चिलकाना रोड	100942513288	अंकित कश्यप	पुत्र अशोक कुमार	निकट शिव मंदिर शंकर पुरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001	21/04/2023	24,564.49
नागल	101142510512	राजेश कुमार	पुत्र रामपाल	नागल, ग्राम–साधारणसिर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247551	20/02/2023	55,748.50
इंदिरा पुरम	101942516256	अंकित बहल		21 बैंक विहार, परवाना रोड, पीतमपुरा उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिल्ली 110034	14/07/2023	1,272,801.98
नोएडा–18	100742599889	अर्चना राय	पुत्री विनोद कुमार राय	वार्ड नंबर 02 साधोपुर उर्फ रामपुर रेओतीपुर साधोपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश 232328	04/10/2023	48,268.23
शारदा नगर	101742510501	इमरान अली	पुत्र अकबर अली	145 मुजफ्फरनगर रोड कोलकी कलालन सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247769	21/11/2023	53,100.68
नोएडा–18	100742599919	गौरव कौशिक	पुत्र यश पाल शर्मा	मकान नंबर बी 260, हरि नगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली 110064	12/10/2023	40,424.31
शारदा नगर	101742510437	मोहम्मद रहमान	पुत्र रिजवान अहमद	461 इंद्र चौक गली नंबर 2 रहमानी मस्जिद के पास सावरी का बाग 3 सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001	21/07/2023	30,347.30
गाजियाबाद	101542512340	शाका प्रवीण पत्नी मोहम्मद मुदस्सिर	पुत्र फेयाज अहमद	मकान नंबर एम 243 एम ब्लॉक सुंदर नगरी नंद नगरी उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व दिल्ली 110093	27/09/2023	72,065.35
गाजियाबाद	101542512310	दीपक	पुत्र राधे श्याम	ग्राम खड़गवास ग्राम खड़गवास खड़गवास (127) रेवाड़ी हरियाणा 123401	21/09/2023	66,978.83
नोएडा–18	100742599926	कृष्ण कुमार	पुत्र प्रदीप कुमार	निशा देवी एस–3ए फ्लैट नंबर–403 सुपरटेक ईको विलेज–1 बिसरख नोएडा ग्रेटर बिसरख गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301	13/10/2023	63,010.78
गाजियाबाद	101542513049	तरुण के शर्मा	पुत्र शंभू नाथ	243 गली नंबर–6 गाजियाबाद पुराना आर्यनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001	15/12/2023	62120.68

नीलामी तिथि 27-06-2024 को अप. 03.00 बजे है

बैंक के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये नीलामी से किसी खाता को समाप्त करने अथवा नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank
शाखा – रोहतक झज्जर रोड (6621)
रोहतक झज्जर रोड, काठनमड़ी
फोन. 01262-278200, 7055860918

संदर्भः सीबी/रोहतकझाज्जर/सरफेसी/नरेश राठी/5/2023-24

दिनांक: 11.06.2024

कब्जे सूचना [धारा 13(4)]

जबकि:

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03/04/2024 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता **श्री नरेश राठी पुत्र ओम प्रकाश** और **श्री सीमा पत्नी श्री नरेश राठी** को नोटिस में उल्लिखित राशि, जो कि **रु. 23,88,560.39 (रुपये तेईस लाख अट्ठासी हजार पांच सौ साठ पैसे और उनचालीस मात्र)** है, तथा अतिरिक्त ब्याज सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा था।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, 11 जून 2024 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों तथा आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन केनरा बैंक द्वारा **रु. 23,88,560.39 (रुपये तेईस लाख अट्ठासी हजार पांच सौ साठ पैसे और उनचालीस मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट संख्या 89–ए पर संपत्ति का ईएमटी, क्षेत्रफल 105.22 वर्ग मीटर। (126.00 वर्ग गज) सेक्टर 37, एनएच 71 ए, वन सिटी, गोहाना रोड, रोहतक, हरियाणा, पिन कोड –124001 पर स्थित है, जो बिक्री विलेख संख्या 11653 दिनांक 14/11/2018 के माध्यम से श्री नरेश राठी पुत्र ओम प्रकाश के नाम पर पंजीकृत है।

CERSAI ID:
सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी : 400026039101

दिनांक: 11.06.2024 स्थान: रोहतक प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष– 28751723, 28754731

अनुलग्नक–2

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को मांग सूचना [धारा 13(2)]

संदर्भ : 2006/सरफेसी/एमएसएमई/2/2024 **दिनांक : 04.04.2024**

1. ग्लोबल इलेक्ट्रिकल्स, डी–87, डी ब्लॉक, मकसूदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़ नई दिल्ली 110043, **इसके अलावा :** 2. प्लॉट नंबर 6, फेज ।।।, अशोक विहार सेक्टर–5, गली नंबर 2 गुरुग्राम, हरियाणा–121001, **3.** 511, औद्योगिक क्षेत्र सोनीपत हरियाणा–131001, **4. परमिंदर सिंह सेहरावत (पार्टनर)** पुत्र अजीत सिंह सेहरावत, डी 87, डी ब्लॉक, मकसूदाबाद कॉलोनी नजफगढ़ एक्सटेंशन, नजफगढ़ दिल्ली 110043, **5. युजवेंद्र सिंह (पार्टनर) पुत्र अजीत सिंह,** डी 86, मकसूदाबाद कॉलोनी नजफगढ़ एक्सटेंशन, नजफगढ़ दिल्ली–110043, 6. देवेंद्र सिंह (गारंटर) पुत्र अजीत सिंह, डी 87, डी ब्लॉक, मकसूदाबाद कॉलोनी नजफगढ़ नई दिल्ली 110043

विषय : वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना।

अधोहस्ताक्षरकर्ता, **एमएसएमई सुलभ आजादपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी (जिन्हें आगे "प्रतिभूत ऋणदाता" कहा जाएगा), वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत नियुक्त, आपको यह सूचना इस प्रकार निर्गत करते हैं:

परमिंदर सिंह सेहरावत और युजवेंद्र सिंह (जिन्हें आगे "उधारकर्ता" कहा जाएगा) की भागीदारी वाली फर्म **ग्लोबल इलेक्ट्रिकल्स** ने नीचे दी गई अनुसूची ए में वर्णित ऋण सुविधा/सुविधाओं का लाभ उठाया है और प्रतिभूत ऋणदाता के पक्ष में सुरक्षा समझौते/समझौते किए हैं। उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय, आपने ऊपर उल्लिखित समझौतों की शर्तों और नियमों के अनुसार ऋण राशि/राशि चुकाने का स्पष्ट रूप से वचन दिया है।

कि **देवेंदर सिंह, परमिंदर सिंह सहरावत और युजवेंद्र सिंह** (जिन्हें इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा) ने मांग पर सभी धनराशि के भुगतान की गारंटी दी है और ऋण सुविधाओं के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूत ऋणदाता को देय या वहन किए गए सभी दायित्वों और देनदारियों का निर्वहन किया है, जिसकी सीमा रु. 7000000 (केवल सत्तर लाख रुपये) है, उस पर ब्याज सहित।

आप **देवेंदर सिंह** ने प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष भी समझौते किए हैं, जिनका विवरण नीचे अनुसूची बी में दिया गया है। हालाँकि, दिसंबर 2023 (माह/वर्ष) से, उक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधाओं का परिचालन और संचालन अनियमित हो गया है। प्रतिभूत परिसंपत्तियों द्वारा रखी गई खाता बही से पता चलता है कि आज की तारीख में प्रतिभूत ऋणदाता के प्रति उधारकर्ता की देयता **रु. 72,89,679.43 (बहत्तर लाख नवासी हजार छह सौ उन्यासी और तैंतालीस पैसे)** है, जिसका विवरण भविष्य की ब्याज दर के साथ नीचे अनुसूची सी में दिया गया है। यह भी कहा गया है कि ऋणकर्ता/गारंटर दिए गए समय के भीतर प्रतिभूत ऋणदाता के बकाए का भुगतान करने में उपरोक्त समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं, और बकाया राशि का भुगतान करने में टालमटोल कर रहे हैं। उपरोक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा/ओं का परिचालन और संचालन ठप्प हो गया है और मूल ऋण/किस्त और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, प्रतिभूत ऋणदाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 30/03/2024 (उल्लेखित तिथि) के अनुसार ऋण को अनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

इस सूचना के माध्यम से प्रतिभूत ऋणदाता आपके ध्यान में लाता है कि ऋणकर्ता उक्त बकाया/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहा है और इसकी उपेक्षा की है, इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत आपसे यह सूचना निर्गत करके मांग करता है कि आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत ऋणदाता को अनुसूची सी में वर्णित ऋणी की देनदारियों का पूरा भुगतान करें। इसके अलावा, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि आप प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों और आकस्मिक खर्चों के साथ–साथ 9.90+2: प्रति वर्ष की दर से भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना में उल्लिखित भावी ब्याज और आकस्मिक व्ययों और लागतों सहित रु. 72,89,679.43 (बहत्तर लाख नवासी हजार छह सौ उन्यासी और तैंतालीस पैसे) की उपरोक्त राशि प्रतिभूत ऋणदाता को चुकाने में विफल रहते हैं, तो प्रतिभूत ऋणदाता धारा 13 की उप–धारा (4)(ए) और (बी) के अंतर्गत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसका उद्धरण इस मुद्दे की गंभीरता को व्यक्त करने के लिए नीचे दिया गया है:

13(4)– यदि ऋणकर्ता/गारंटर उप–धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के अंदर देयता का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूत ऋणदाता अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है, अर्थात्;

(क) ऋणकर्ता/गारंटर की प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर कब्जा करना, जिसमें प्रतिभूत परिसंपत्ति को वसूलने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है;

(ख) (ऋणी के व्यवसाय का प्रबंधन, जिसमें प्रतिभूत परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है) को हाथ में लेना :

बशर्ते कि पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार केवल तभी प्रयोग किया जाएगा, जब ऋणकर्ता के व्यवसाय का पर्याप्त हिस्सा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में रखा गया हो;

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग करने योग्य है, प्रतिभूत ऋणदाता, ऋणकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा, जो ऋण के लिए प्रतिभूति से संबंधित है;

और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13(13) के अनुसार ऋणकर्ता/गारंटर जो हैं वे प्रतिभूत ऋणदाता की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना अनुसूची बी में विस्तृत उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। यह भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए गए इस वैधानिक निषेधाज्ञा/प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है और यदि किसी भी कारण से, प्रतिभूत परिसंपत्तियां सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय प्रतिभूत ऋणदाता के पास जमा की जाएगी। इस संबंध में आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित हिसाब देना होगा।

मांग की यह सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी अन्य अधिकार या उपाय के त्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास हो सकता है जिसमें आपके द्वारा देय और भुगतान योग्य राशियों के लिए आगे की मांगें करने के अधिकार शामिल हैं।

यह अधिनियम और/या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है।

कृपया इस सूचना के अंतर्गत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियताओं से बचें। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसके संदर्भ में आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

अनुसूची-ए
(उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओं के विवरण)

क्रम सं.	ऋण की प्रकृति	ऋण की प्रकृति/सीमा	स्वीकृति की तिथि	राशि
1.	125003656986	ओवर ड्राफ्ट कैश क्रेडिट	13/03/2023	70,00,000/–

अनुसूची-बी
(प्रतिभूति परिसंपत्तियों के विवरण')

क्रम सं.	अचल परिसंपत्तियां	स्वामित्वधारक का नाम
1.	यूनिट नं. 42ए के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूतल पर इरोज मेट्रो मॉल, भूखंड सं. 8, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली 110078 में स्थित है।	श्री देवेंदर सिंह पुत्र अजीत सिंह

अनुसूची-सी
(तिथि के अनुसार देयता के विवरण)

क्रम सं.	ऋण सं.	ऋण की प्रकृति / सीमा	देयता, ब्याज सहित, तिथि (31.03.2024) के अनुसार	ब्याज दर
1.	125003656986	ओवर ड्राफ्ट कैश क्रेडिट	72,89,679.43	9.90 + 2 (दांडिक ब्याज)

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

पूर्वोत्तर रेलवे
आवश्यक सूचना

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल पर **ऐशबाग–मानकनगर** खण्ड पर 'स्वतंत्र बाईपास रेल लाईन' का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त **14** जून, **2024** को इस नई 'स्वतंत्र बाईपास रेल लाईन' का निरीक्षण करेंगे तथा स्पीड ट्रायल किया जायेगा।

अतः आम जन को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल के दौरान इस नई 'स्वतंत्र बाईपास रेल लाईन' पर न जाये और न ही अपने पशुओं को जाने दें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि.
मुजाधि/डब्लू–114 गोरखपुर

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

प्ररूप संख्या यूआरसी–2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में]

1. सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050** को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की **"ए ओ वी क्लैवर निट्स एलएलपी (एलएलपीआईएन: एएआई- 4004)"** एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में एओवी क्लैवर निट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत किया जाए।
2. **कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:** विनिर्माण, आयातकों, निर्यातकों, खरीदारों, विक्रेताओं, डीलरों के व्यवसाय करने के लिए और एक एजेंट, स्टॉकिस्ट, वितरक और सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों, फैशन और जीवन शैली उत्पादों के आपूर्तिकर्ता और उनके सामान जैसे अधोवस्त्र, होजरी, मोजे, सामान, हैंड बैग, जूते के सामान भारत और विदेशों में, कवरिंग, लेपित कपड़े, वस्त्र, होजरी, रेशम, ऊन, कपास, रेयान और लेख और कपास से बनी चीजें, नायलॉन, रेशम, कला रेशम, सिंथेटिक फाइबर, स्टेपल फाइबर, पॉलीस्टर, वर्सुटेड, भांग, कपड़ा, लिनन, जालीदार और लूप किए गए ऐक्रेलिक, जूट आदि और ई-कॉमर्स बाजार स्थान, पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन करने के लिए, और ऑनलाइन कैटलॉग के साथ एक वर्चुअल शॉपिंग मॉल बनाने और अपने ग्राहकों को एक सुविधाजनक खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए, ऐसे सभी आकस्मिक कार्य और पूर्वगामी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए।
3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण **136-ए, पॉकेट- 12, जसोला, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली- 110024 (भारत)** स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050,** पर भेज दे तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

ए ओ वी क्लैवर निट्स एलएलपी के लिए
हस्ता/-
1. ओम प्रकाश अरोड़ा (नामित भागीदार)
2. संचित अरोड़ा (नामित भागीदार)

तिथि : 12.06.2024 | स्थान : नई दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

कॉन्टिनेंटल कन्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U19202DL2006PTC146489)

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 110, दुर्गा चेम्बर्स, 1333 डी.बी. गुप्ता रोडद्व करोल बाग, दिल्ली, 110065 इंडिया में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 06 जून, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृत्ते आवेदक की ओर से
हस्ता/–
सुमीत सिंह
निदेशक
डीआईएन : 01049160

तिथि : 12.06.2024
स्थान : नई दिल्ली

वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
CIN: L24232DL1996PLC227773
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 55, ऑफिस नं. 104, प्रथम तल, विजय ब्लॉक, लक्ष्मी